ई-1752644

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 12-07-2024

विषयः- जिला कारागार, बलिया के बंदियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-16693/सामा-1(6)/231/बलिया जेल शिफ्टिंग/24, दिनांक 11-06-2024 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 तथा प्रस्तर-122 में निहित प्रावधानों के अनुसार निम्न तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित जिला कारागार, बलिया के विचाराधीन पुरूष/महिला/अल्प वयस्क/सिद्धदोष पुरूष बंदी, जिन पर विचाराधीन केस भी हैं/07 वर्ष से कम सजावधि से दण्डित समस्त सिद्धदोष पुरूष बंदियों को उनके सम्मुख उक्त तालिका के कॉलम-4 में उल्लिखित कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	कारागार का नाम	बंदियों का प्रकार	स्थानांतरित किये जाने वाली प्रस्तावित कारागार का नाम	बंदियों की संख्या (दिनांक 11-06-2024) की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
01	जिला कारागार, बलिया	समस्त विचाराधीन पुरूष बंदी	जिला कारागार, मऊ	388
		समस्त विचाराधीन महिला बंदी	जिला कारागार, मऊ	21
		समस्त अल्प वयस्क बंदी	जिला कारागार, आजमगढ़	49
		समस्त सिद्धदोष बंदी जिनपर विचाराधीन केस भी हैं	जिला कारागार, मऊ	20
		समस्त सिद्धदोष पुरूष बंदी जो 07 वर्ष से कम समावधि से दण्डित हैं	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	16

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया/मऊ/आजमगढ़/वाराणसी।

5- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।

6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बलिया/आजमगढ़/मऊ।

7-वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी/ जिला कारागार, बलिया/आजमगढ़/मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, बलिया से उक्त तालिका के कॉलम-4 में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in